



धना- नई कंपोजिट बिल्डिंग
 कलेक्टर परिसर बिलासपुर (छ.ग.)
 दुवाप - 07752-443689
 फ़ैक्स - 07752-443689
 ई-मेल - cetownplan.bilaspur@gmail.com



Add.-New Composit Building
Collector Parisar Bilaspur (C.G.)
Tel- 07752-443689
Fax - 07752-443689
E-Mail- cetownplan.bilaspur@gmail.com

कमांक/ 5516 /न.ग्रा.नि./प्र.क. 89/सी.जी. आ. 00085/24/धारा 29/24
प्रति, /

बिलासपुर दिनांक 20/11/2024

✓ मेसर्स वृन्दावन रियल्टी
भागीदार वृन्दावन इन्फ्रा स्टेट्स प्रा.लि.
द्वारा संचालक 1. श्री सुशील पटेरिया एवं अन्य
पिता स्व. श्री विश्वनाथ प्रसाद पटेरिया
बिलासपुर (छ0ग0)

विषय:- बिलासपुर विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अंतर्गत आवासीय (भूखण्डीय) विकास हेतु अनंतिम विकास अनुज्ञा।

संदर्भ:- 1-एकल खिड़की के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 13.08.2024 (प्र.क. CGAWAAS/2024/00085)
2-इस कार्यालय का पत्र क्र. 4454, दिनांक 16.08.2024,
3-कार्यालय नगर पालिक निगम, बिलारापुर के पत्र क्रमांक 1128 दिनांक 25.10.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत एकल खिड़की के तहत प्राप्त आवेदन पत्र में यथावर्णित ग्राम परसदा, प.ह.नं. 49, तहसील व जिला बिलासपुर के खसरा क्रमांक 15004 (207/2, 208/2, 209, 210/2, 215/4, 216/6), कुल रकबा 2.329 हेक्टेयर (5.75 एकड़), जो कि बिलासपुर विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 में भू-उपयोग आवासीय, प्रस्तावित आवासीय निर्दिष्ट है में आवासीय प्रयोजन हेतु भूखण्डीय विकास को क्रियान्वित किये जाने हेतु अनंतिम विकास अनुज्ञा छ0ग0 नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 की धारा 30 की उपधारा (3) एवं छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 27(1) के अध्वधीन रहते हुए निम्न शर्तों के तहत प्रदान की जाती है :-

- 1) यह अनुज्ञा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा अनुज्ञेय भूमि के भूस्वामित्व के सत्यापन एवं पुष्टि के आधार पर दी जा रही है।
- 2) स्थल पर अभिन्यास अनुसार सीमांकन कराया जाकर सीमांकित अभिन्यास का सत्यापन इस कार्यालय से कराया जाना आवश्यक है।
- 3) प्रश्नाधीन भूखण्ड में वर्तमान में 50 फीट चौड़ाई का पहुँच मार्ग उपलब्ध है, उक्त पहुँच मार्ग के संबंध में कार्यालय नगर पालिक निगम, बिलासपुर के पत्र क्रमांक क्र./न.पा.नि./भ.वि./2024-25/1148, दिनांक 14.11.2024 के अनुसार मार्ग की चौड़ाई 50 फीट दर्शाया गया है। अतः मार्ग संबंधी विवाद की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4) शासकीय भूमि एवं अभिन्यास के बाहर किसी अन्य की निजी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न किया जावे। किसी भी स्थिति में विकास अनुज्ञा के विरुद्ध कोई विकास/निर्माण न किया जावे।
- 5) समस्त आंतरिक विकास कार्य जैसे-जल आपूर्ति, मल निकास, सोकपिट, सेप्टिक टैंक, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मार्गों का विकास, खुले स्थानों का विकास एवं विद्युतीकरण, नाली का निर्माण इत्यादि का अभिन्यास में दर्शाये अनुसार करना आवेदक को आवश्यक होगा। गंदे जल के उपचार एवं पुनर्चक्रण के बाद ही परिसर के बाहर छोड़ा जावे।
- 6) छ0ग0 नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 की धारा 33 के प्रावधानों के तहत जावक दिनांक से यह अनुज्ञा 03 वर्ष की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी। अनुज्ञा को इस अवधि के समाप्ति के पूर्व आवेदन किये जाने पर वर्षानुवर्ष बढ़ाया जा सकेगा किंतु कुल कालावधि जावक दिनांक से किसी भी दशा में 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 7) भवन निर्माण अनुज्ञा नगर पालिक निगम बिलासपुर से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

क्रमः // 2 //



- 8) छ0ग0 नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वहन तथा शर्तों) नियम 2013 के नियम 12 के प्रावधानों के तहत कालोनी विकास की अनुमति नगर पालिक निगम, बिलासपुर से प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 9) छ0ग0 नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वहन तथा शर्तों) नियम 2013 के अनुसार कालोनी का आंतरिक एवं बाह्य विकास करना आवश्यक होगा।
- 10) छ0ग0 नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वहन तथा शर्तों) नियम 2013 के नियम 10 एवं संशोधन दिनांक 13.09.2023 के नियम 10 के (तीन), उप-नियम (1) एवं (3) में उल्लेखित प्रावधान के तहत कालोनी विकास की अनुमति जारी करने के पूर्व अधिनियम/नियम एवं शासन आदेशानुसार कमजोर आयवर्ग (E.W.S.) हेतु नगर पालिक निगम, बिलासपुर, जिला बिलासपुर कार्यालय के पत्र क्र. 1128, दिनांक 25.10.2024 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- 11) E.W.S. के एवज में आश्रय शुल्क जमा किया जाने की स्थिति में छ0ग0 नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वहन तथा शर्तों) नियम के प्रावधानों के तहत ही जमा किया जावे।
- 12) छ0ग0 नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वहन तथा शर्तों) नियम 2013 के उप नियम-2 में उल्लेखित विकास कार्य का सक्षम प्राधिकारी के सत्यापन करने के पश्चात् ही गंदाक भवनों/भू-खण्डों को मुक्त किया जावे।
- 13) छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 64 के अनुसार प्रति 100 वर्गमीटर में एक वृक्ष की दर से वृक्षारोपण कराना होगा।
- 14) छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78 (4) के अनुसार रेनवाटर हारवेस्टिंग के प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा।
- 15) शासन के निर्देशानुसार निर्माण कार्य हेतु 25% फलाई ऐश ब्रिक्स का प्रयोग किया जावे।
- 16) विद्युत संयोजन संबंधी आवश्यकताओं का आकलन कर आवेदक को स्वयं के व्यय पर विद्युत व्यवस्था छग, राज्य विद्युत मापदण्ड के मार्गदर्शन में कराया जाना आवश्यक होगा।
- 17) छ0ग0 शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग का आदेश कं. एफ 7-28/2016/32, नया रायपुर, दिनांक 27.05.2016 के तहत विद्युत लाईन, विद्युत कनेक्शन करने हेतु भूमिगत विद्युत केबल की स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो के प्रावधानों के अनुसार करना होगा।
- 18) छ0ग0 शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग का आदेश कं. एफ 7-28/2016/32, नया रायपुर, दिनांक 27.05.2016 के तहत भूखण्ड में किसी भी प्रकार के भवन निर्माण/पुर्ननिर्माण/भवन को गिराने के दौरान पर्यावरण संरक्षण एवं जनसुरक्षा तथा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रदूषण की रोकथाम हेतु निर्माणाधीन भवन के चारों ओर धूल अवरोधक लगाया जाना आवश्यक होगा, जिसमें निम्नलिखित विधियाँ सम्मिलित होंगी- स्थल की आवश्यकतानुसार क्लोज कर्टन/बिन्डिंग स्ट्रक्चर/वैरियर का प्रयोग, मिट्टी में नमी, वृक्षारोपण आदि।
- 19) छ0ग0 शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, के पत्र कं./197/173/2012/32 रायपुर, दिनांक 25.01.12 के क्रम में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का ज्ञापन कं. एफ 4-104/सात-1/2011 रायपुर, दिनांक 16.01.2012 के तहत संबंधित तहसीलदार द्वारा कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा।
- 20) उक्त अनुज्ञा तहसीलदार बिलासपुर के सीमांकन प्रतिवेदन रा.प्र.क्र. 202403076500011/अ-12/23-24 दिनांक 05.03.2024 तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत प्रश्नाधीन भूमि की स्थिति को बतलाए अनुसार स्थल निरीक्षण के आधार पर दी जा रही है। किसी भी प्रकार की भिन्नता पाए जाने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इसके लिए इस विभाग की कोई जवाबदारी नहीं होगी तथा विवाद की स्थिति में प्रदाय की गई विकास अनुज्ञा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 21) छ0ग0 शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश कं. 2038/1521/2016/32 नया रायपुर, दिनांक 28.05.2019 के तहत संबंधित वास्तुविद्/इंजीनियर/संरचना इंजीनियर/नगर योजनाकार/पर्यवेक्षक के द्वारा गलत संरचना रूपांकन प्रस्तुत होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 22) स्थल पर स्वीकृत मानचित्र की प्रति जन सामान्य के अवलोकनार्थ लगायी जावे। स्थल पर अभिन्नास अनुमोदन संबंधी जानकारी बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा।
- 23) उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों का शासन द्वारा समय-समय पर संशोधन किये जाने पर प्रचलित प्रावधानों का पालन करना सुनिश्चित करें।
- 24) इसे किसी भी प्रकार का भू-अभिलेख संबंधी प्रमाण पत्र न समझा जावे।
- 25) अनुमति की शर्तों का उल्लंघन होने अथवा किसी असत्य जानकारी अथवा विवाद की स्थिति में यह अनुमति नियमानुसार प्रतिसंहत की जा सकेगी।
- 26) समस्त अनापत्तियाँ एवं निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी/ए.डी.एम. द्वारा अंतिम आदेश जारी किया जावेगा।

क्रमशः // 3 //

27) मार्ग संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उक्त अनुज्ञा नियमानुसार प्रतिसंहत की जा सकेगी।

28) छ0ग0 नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 की धारा 33(क) के तहत विकास अनुज्ञा के प्रतिसंहरण एवं उपांतरण की शक्तियाँ संचालक में निहित हैं। अतः राज्य शासन आवश्यक समझे तो इस अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सकती है तथा उपरोक्त अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन होने अथवा किसी असत्य जानकारी अथवा भूमि स्वामित्व विवाद की स्थिति में इस भूमि पर प्रदत्त विकास अनुज्ञा छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहरण (रिवोक) की जा सकती है।

संलग्न :- अभिन्यास की प्रति।

प्र.सं. ३३३
अमर तथानाथ ग्राम निवेश
दोत्रीय कार्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

www.dhammadownload.com

पृ. क्रमांक/ /न.ग्रा.नि./प्र.क. 89/सी.जी. आ. 00085/24/धारा 29/24 बिलासपुर दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
2. कार्यालय कलेक्टर, जिला बिलासपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त नगर पालिक निगम, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।

प्र.संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर (छ.ग.)